

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-...../10/2016

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में वाल्मिकी व्याघ्र आरक्ष के अधिसूचित वन भूमि में भू-जल संरक्षण कार्य के अन्तर्गत कुल 1.60 कि०मी० में नदियों का ट्रेनिंग एवं 25.60 कि०मी० नालों में गली प्लगिंग उपचार किये जाने हेतु अवकृष्ट वनों का पुर्नवास योजनान्तर्गत पूरी योजना राशि ₹178.50 लाख (एक करोड़ अठहत्तर लाख पचास हजार ₹) मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वाल्मिकी व्याघ्र आरक्ष, बेतिया प्रमंडल-1 के अधिनस्थ मंगुराहा, रघिया एवं गोवर्द्धन प्रक्षेत्रों में विभिन्न बरसाती नदियों यथा पंडई, कापन, सिंघहा, द्वारदह एवं गांगुली में वर्षाकाल में पानी का बहाव अत्यधिक तेज होने के कारण उन नदियों के तटों पर स्थित पेड़-पौधों तथा वन पथ इत्यादि का अत्यधिक कटाव एवं इस कटाव के कारण लगातार नदी के किनारे वन क्षेत्र का ह्रास होने, ग्रास लैण्ड की कमी होने एवं गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो जाने के कारण जीव-जन्तुओं को वन क्षेत्रों से बाहर निकल कर भटकने की संभावना के दृष्टिपथ में वित्तीय वर्ष 2016-17 में वाल्मिकी व्याघ्र आरक्ष के अधिसूचित वन भूमि में संलग्न-Annexure-1 के अनुरूप भू-जल संरक्षण कार्य के अन्तर्गत कुल 1.60 कि०मी० में नदियों का ट्रेनिंग एवं 25.60 कि०मी० नालों में गली प्लगिंग उपचार किये जाने हेतु अवकृष्ट वनों का पुर्नवास योजनान्तर्गत पूरी योजना राशि ₹178.50 लाख (एक करोड़ अठहत्तर लाख पचास हजार ₹) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस राशि की निकासी निम्नांकित मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि से की जायेगी :-

A. मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-101-वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण, माँग संख्या-19, उप शीर्ष-01 09-अवकृष्ट वनों का पुर्नवास, विपत्र कोड-P2406011010109, राज्य योजना स्कीम कोड-फॉर 5051 के विषय शीर्ष-02 01-मजदूरी, 21 01-सामग्री एवं पूर्तियाँ एवं 27 01-लघु कार्य।

B. मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या-19, उप शीर्ष- 01 01-अवकृष्ट वनों का पुर्नवास, विपत्र कोड-P2406017890101, राज्य योजना स्कीम कोड-फॉर-5051 के विषय शीर्ष-02 01-मजदूरी।

C. मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-796-जनजातिय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या-19, उप शीर्ष-01 03-अवकृष्ट वनों का पुर्नवास, विपत्र कोड-P2406017960103 के विषय शीर्ष- 02 01-मजदूरी।

3. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, वाल्मिकी व्याघ्र आरक्ष, बेतिया प्रमंडल-1 होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबद्ध जिला कोषागार/उप कोषागार से किया जायेगा।

4. प्रस्ताव में संचिका के पृष्ठ-56/टि० पर दिनांक-06.10.2016 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति एवं प्रारूप में संचिका के पृष्ठ-57/टि० पर दिनांक-07.10.2016 को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5. इस योजना के कार्यान्वयन होने समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के दर पर ही हो।

6. इस राशि का आवंटन निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) बिहार, पटना द्वारा तैयार किया गया कार्य योजना (संलग्न Annexure-1) में दर्शाये गये प्राक्कलन के अनुरूप ही इन योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होने पर इस योजना के स्थल पर क्रियान्वयन/निरीक्षण/पर्यवेक्षण करने वाले सभी पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होगी।

8. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरुद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी अभिलेखों को कार्यालय में संधारित किया जायेगा तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा क्रियान्वित कार्यों का समय-समय पर पर्यवेक्षण किया जायेगा एवं योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना की होगी।

10. जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित्त योजना स्थल पर निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सूचना पट्ट पर सम्पूर्ण योजना को प्रदर्शित किया जायेगा।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-35/2013 5084 /प०व० पटना-15, दिनांक-13/10/2016

प्रतिलिपि - (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी०(मैनेजर)/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/10/16
(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव

H

258

Annexure-1

Discription of River Training & Nala Treatment with Geo-bag/ Boulder Crate Structures in VTR Division, Bellia-1

Discription of Treatment (cost of per Geobag- 176.15, Geobag structure- 44037.50, B.Crate structure- 7154.00, Small crate Str. 3686.88)

| Name of the Range | River Training | | | | | Nala & Gully Treatment with geobag & Boulder crates | | | | | Total Cost (5+11+14) | | | |
|-------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------|----------------|---|-------------------------------|------------------------|---------------|----------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|
| | Name of River | Lenght (in km) | Rate per Km. | Cost. | Lenght (in km) | No. of Structure | No. of Geobags per structures | No. of Geobag | Rate per bags | Cost. | | No. of Structure | Rate per structures | Cost. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Manguraha | Pandai | 0.80 | 2852987 | 2282390 | 10.10 | 103 | 67X146 36X267 | 9782 9612 19394 | 176.15 | 3416253 | Big Crate- 140 Small Crate- 21 | 7153.86 3686.88 | 1001540 77424 1078965 | 6777608 |
| Raghia | Kapan singha Dwardah Ganguly | 0.40 | 2852987 | 1141195 | 8.70 | 117 | 62X146 55X267 | 9052 14685 23737 | 176.15 | 4181273 | Big Crate- 46 Small Crate- 10 | 7153.86 3686.88 | 329077 36869 365946 | 5688413 |
| Gobardhana | | 0.40 | 2852987 | 1141195 | 6.80 | 101 | 41X146 60X267 | 5986 16020 22006 | 176.15 | 3876357 | Big Crate- 46 Small Crate- 10 | 7153.86 3686.88 | 329077 36869 365946 | 5383498 |
| Total | | | | 4564779 | | | | 65137 | | 11473883 | | | 1810857 | 17849519 |

Technical Approval accorded for Rs. 178.50 lakh (Rs. One crore seventy-eight lac. fifty thousand) only.

(Rs. One crore seventy-eight lac. forty-nine thousand five hundred nineteen only.)

P.C.C.F. (Development)
Bihar, Patna.
17.8.16

19/10/19
3421/49

P.C.C.F. (Development)
Bihar, Patna.
17.8.16